

न्यायालय—सिराज अली, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी—सिराज अली)

आप.प्रकरण.क.—188 / 2014
 संस्थित दिनांक—13.03.2014
 फाईलिंग क्र.234503005142014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

नारायण उर्फ नरेन्द्र पिता चन्द्रराम विश्वकर्मा, उम्र—26 वर्ष,

निवासी—ग्राम चिचगांव, थाना बिरसा,

जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—13 / 01 / 2016 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—379 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—30.01.2014 को 2:00 बजे, थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम मरारटोला चौक मेन रोड से फरियादी सूरज के आधिपत्य का वाहन सी.टी. 100 डी.एल.एक्स सी. जी. 09 / ए. 3528 को उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—30.01.2014 को फरियादी सूरजलाल अपने मित्र सुरेश कुमार निर्मलकर की बजाज गाड़ी सी. टी—100 / डी.एल.एक्स क्रमांक—सी.जी—09 / ए. 3528 को मांग कर निजी कार्य से ग्राम चिचगांव जा रहा था और ग्राम मरारीटोला में गाड़ी खड़ी कर पान खा रहा था, उसी दरमियान आरोपी नारायण उर्फ नरेन्द्र, निवासी—ग्राम चिचगांव उसकी उक्त मोटरसाईकिल को बिना उससे पूछे चोरी कर ले भागा, जिसका उसने पीछा किया और तलाश किया, किन्तु आरोपी नहीं मिला। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी सूरजलाल के द्वारा थाना बिरसा में की गई, जिस पुलिस द्वारा आरोपी नारायण उर्फ नरेन्द्र के विरुद्ध अपराध क्र.—22 / 2014 अंतर्गत भा.द.वि. की धारा—379 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया, गवाहों के बयान लिये गये और विवेचना के दौरान आरोपी नारायण उर्फ नरेन्द्र से मोटरसाईकिल जप्त की गई तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश

किया गया।

3— आरोपी को भा.द.वि. की धारा—379 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना व गलती होने से माफी दिया जाना प्रकट किया है तथा बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक—30.01.2014 को 2:00 बजे, थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम सरारटोला चौक मेन रोड से फरियादी सूरज के आधिपत्य का वाहन सी.टी. 100 डी.एल.एक्स सी.जी. 09/ए. 3528 को उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की ?

विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :—

5— फरियादी सूरजलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना इसी वर्ष गेंहू के सीजन की है। घटना दिनांक को उसे आरोपी बिरसा में मिला था और कह रहा था कि उसे गाड़ी में बिठाल लो। फिर आरोपी स्वयं उसकी गाड़ी चलाने लगा और वह उसके पीछे बैठा था और वे लोग सरारटोला गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए गए और पेट्रोल भरवाए, तभी आरोपी नारायण कहने लगा कि वह साईड से पैसे लेकर आता है, तुम यहीं रुको। फिर आरोपी उसकी मोटरसाईकिल लेकर साईड तरफ चला गया। उसने शाम तक आरोपी का रास्ता देखा, किन्तु आरोपी मोटरसाईकिल लेकर नहीं आया। फिर उसने गांव में एवं आसपास के गांव में जाकर तलाश किया, तो उसे बाद में पता चला कि उसकी गाड़ी को किसी व्यक्ति द्वारा ले जाते हुए दमोह एरिया में देखें थे। उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना बिरसा में लिखित आवेदन प्रदर्श पी—1 के माध्यम से दी गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिस पर पुलिस थाना बिरसा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—2 दर्ज किया गया, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी मोटरसाईकिल की डिकी में 10 हजार रुपये और सहकारी सोसाईटी के पट्टे आदि सामान रखे थे। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी—3 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया कि जब वह पान ठेले के सामने खड़ा होकर पान खा रहा था, तो उसकी मोटरसाईकिल आरोपी ने लेकर भाग गया था। यदि उक्त बात उसके पुलिस कथन और रिपोर्ट में हो तो उसका कारण नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी ने उसके द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन से हटकर अपने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन किये हैं। साक्षी के द्वारा स्पष्ट रूप से आरोपी के द्वारा कथित मोटरसाईकिल चोरी करने के संबंध में अभियोजन का समर्थन न करते हुए इसके विपरीत यह बताया है कि आरोपी ने उससे पूछकर मोटरसाईकिल लेकर गया था। यद्यपि अभियोजन के द्वारा आरोपी के विरुद्ध फरियादी की मोटरसाईकिल के संबंध में न्यासभंग के अपराध हेतु अभियोगपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में फरियादी के रूप में आरोपी के विरुद्ध अभियोजित एवं आरोपित अपराध किये जाने के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

7— सुखलाल ठाकरे (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। फरियादी सूरजलाल उसके पिताजी हैं। घटना लगभग 6-7 माह पुरानी है। घटना दिनांक को उसके पिता मोटरसाईकिल लेकर बिरसा गए थे और शाम को घर आए और बताए कि आरोपी नारायण उसकी मोटरसाईकिल को चोरी कर ले गया है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी ने उसके सामने फरियादी की मोटरसाईकिल को बिना बताए ले गया था। साक्षी ने पुलिस द्वारा लिये गए कथन प्रदर्श पी-4 से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि घटना उसके सामने की नहीं है। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

8— राजेन्द्र ठाकरे (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी एवं प्रार्थी को नहीं जानता और उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि फरियादी सूरज घटना दिनांक को उसके पान ठेले पर पान खाने आया था और उस समय मोटरसाईकिल को पान की दुकान के सामने खड़ा कर दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि आरोपी ने फरियादी की मोटरसाईकिल को बिना बताए भाग गया था, जो बाद में मोटरसाईकिल सहित पकड़ा गया था। साक्षी ने उसके

पुलिस कथन प्रदर्श पी-5 से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलों का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

9— प्रकाश (अ.सा.4) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को जानता है, जो उसके ही गांव का रहने वाला है। उसके सामने पुलिस ने आरोपी से एक मोटरसाइकिल जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वाहन को आरोपी के घर से जप्त नहीं किया गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जब वह बिरसा थाने गया था तो उसके सामने जप्ती की कार्यवाही पुलिस वालों ने किये थे। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि वाहन कहां से पकड़कर लाया था, वह नहीं जानता तथा उसके सामने वाहन जप्त नहीं किया गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि यदि जप्ती की कार्यवाही मानेगांव में करना बताया गया हो तो वह गलत है। इस प्रकार साक्षी ने जप्ती अधिकारी के द्वारा जप्ती वाले स्थान से तथा आरोपी के आधिपत्य से पुलिस द्वारा वाहन जप्ती का समर्थन नहीं किया है।

10— प्रहल्लाद गौतम (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को पहचानता है और प्रार्थी सूरजलाल को भी जानता है। घटना करीब 4-5 माह पूर्व की है। वह बाजार जा रहा था, उस समय उसके गांव के लोग भी थे। सूरजलाल उसे बिरसा में मिला था और बताया था कि उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। इसके अलावा उसे और कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी और न ही बयान लिये थे। उसके सामने आरोपी से पुलिस ने कोई जप्ती नहीं की थी, किन्तु जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-6 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे फरियादी ने बताया था कि उसकी मोटरसाइकिल को पान ठेले से आरोपी नारायण ने बिना बताए चोरी करके ले गया था। साक्षी ने उसके सामने पुलिस द्वारा आरोपी से मोटरसाइकिल जप्त किये जाने की कार्यवाही से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने पुलिस ने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलों का महत्वपूर्ण समर्थन नहीं किया है।

11— अनुसंधानकर्ता अधिकारी राजेशधर दुबे (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में

कथन किये हैं कि वह दिनांक-13.02.2014 को थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सूरजलाल ठाकरे की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 पर प्रधान आरक्षक सोमलाल कावरे के द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-22/2014, धारा-379 भा.द.वि. जो प्रदर्श पी-2 लेख किया गया था, जिस पर प्रधान आरक्षक सोमलाल कावरे के हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रथम सूचना प्रतिवेदन की विवेचना सहायक उपनिरीक्षक एम.एल. धुर्वे के द्वारा घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया था एवं सूरजलाल ठाकरे, सनूपलाल, प्रहल्लाद के कथन लेख किये गए थे। उक्त दिनांक को ही सहायक उपनिरीक्षक एम.एल. धुर्वे के द्वारा नारायण उर्फ नरेन्द्र से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-6 अनुसार एक मोटरसाइकिल क्रमांक-सी.जी-09/ए 3528 जप्त की गई थी। उक्त दिनांक को सहायक उपनिरीक्षक एम.एल. धुर्वे के द्वारा आरोपी नारायण को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7 तैयार किया था। प्रदर्श पी-3, प्रदर्श पी-6 एवं प्रदर्श पी-7 पर सहायक उपनिरीक्षक एम.एल. धुर्वे के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह साथ में कार्य करने के कारण भली-भांति पहचानता है। उक्त डायरी विवेचना हेतु उसे प्राप्त होने पर दिनांक-28.02.2014 को साक्षी राजेन्द्र, सुरेन्द्र, खुशाल के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था।

12— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि घटना की रिपोर्ट घटना के लगभग 14 दिन बाद दर्ज कराई गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि विवेचना अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक एम.एल. धुर्वे के द्वारा की गई विवेचना के दौरान उनके साथ वह नहीं था। इस प्रकार साक्षी ने मात्र साक्षी राजेन्द्र, सुरेन्द्र व खुशाल के कथन लेखबद्ध किये जाने की पुष्टि की है। यद्यपि उक्त साक्षीगण ने अपने न्यायालयीन कथन में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। मामलों में महत्वपूर्ण अनुसंधान की कार्यवाही विवेचक एम.एल. धुर्वे के द्वारा की गई है, किन्तु उसके फौत होने से अभियोजन के द्वारा उसकी साक्ष्य नहीं कराई जा सकी है। ऐसी दशा में मात्र विवेचक एम.एल. धुर्वे के हस्ताक्षर पहचानने के कारण उक्त साक्षी के द्वारा मात्र दस्तावेजी कार्यवाही को प्रदर्श किये जाने से ही अनुसंधान कार्यवाही प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है। वैसे भी चोरी जैसे महत्वपूर्ण मामलों में अनुसंधानकर्ता अधिकारी की साक्ष्य का अधिक महत्व होता है, किन्तु अनुसंधानकर्ता अधिकारी की कार्यवाही विधिवत्

प्रमाणित न होने से अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

13— प्रकरण में फरियादी के द्वारा कथित घटना के लगभग 14 दिन पश्चात् विलंब से रिपोर्ट लेख कराए जाने का संतुष्टि योग्य कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। वास्तव में यदि फरियादी की कथित मोटरसाईकिल की चोरी आरोपी के द्वारा की गई थी और इस तथ्य को फरियादी घटना दिनांक से ही जानता था तो स्वाभाविक रूप से उक्त घटना की रिपोर्ट युक्तियुक्त समय के भीतर पुलिस थाना में किया जाना था। इस प्रकार मामलें में कथित चोरी की घटना आरोपी के द्वारा किये जाने की जानकारी होते हुए भी फरियादी का विलंब से रिपोर्ट किया जाना ही अभियोजन मामलें को संदेहास्पद बनाता है।

14— प्रकरण में फरियादी की रिपोर्ट पर अभियोजन के द्वारा आरोपी के विरुद्ध कथित मोटरसाईकिल की चोरी के अपराध का अभियोगपत्र पेश किया है, जिसके आधार पर आरोपी के विरुद्ध कथित मोटरसाईकिल की चोरी के अपराध का आरोप विरचित किया गया है, किन्तु अभियोजन मामलें से विपरीत फरियादी सूरजलाल अ.सा.1 ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा कथित चोरी का समर्थन न करते हुए तथाकथित मोटरसाईकिल को आरोपी द्वारा उससे पूछकर ले जाकर न्यासभंग कारित करने के संबंध में कथन किये हैं। इस प्रकार फरियादी के द्वारा अभियोजन मामलें से विपरीत एवं विरोधाभासी कथन करने से उसकी साक्ष्य विश्वसनीय नहीं पाई जाती है। इसके अलावा अन्य स्वतंत्र साक्षीगण के द्वारा भी आरोपित अपराध का समर्थन नहीं किये जाने और विवेचक के द्वारा की गई अनुसंधान कार्यवाही भी प्रमाणित नहीं होने से अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

15— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक-30.01.2014 को 2:00 बजे, थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम मरारटोला चौक मेन रोड से फरियादी सूरज के आधिपत्य का वाहन सी.टी. 100 डी.एल.एक्स सी.जी. 09/ए. 3528 को उसकी सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक हटाकर चोरी की। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

16— प्रकरण में आरोपी दिनांक—14.02.2014 से दिनांक—13.01.2016 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। उक्त के संबंध में धारा—428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

17— प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल क्रमांक—सी.जी—09/ए—3528 सुपुर्ददार सुरेश निर्मलकर को सुपुर्दनामें पर दी गई है। अतः उक्त सुपुर्दनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट